न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 137/2024

प्रार्थी :-
1. सांवलराम पुत्र जिम्याराम जाति माली निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-
1. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. भंवरलाल पुत्र जोगाराम
3. सुन्दरी पत्नी जोराराम जातियान सीरवी निवासीगण मालियों की ढाणी के पास खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. भंवरलाल पुत्र रतनाराम
5. माधवसिंह पुत्र मल्लाराम
6. पिंकी देवी पुत्री मल्लाराम
7. भंवरीदेवी पत्नी मल्लाराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा लेरवा का अरट आईजी गोशाला के पास उचियार्डा बिलाड़ा तसहील बिलाड़ा जिला जोधपुर
8. श्रीमति कृष्णाकुमारी पत्नी पुखराज जाति कलाल निवासी कलालों का वास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
9. सरपंच, ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
10. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी – श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1-श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 2 व 3- श्री पुनाराम सीरवी एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 4 से 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 9- श्री नरपतसिंह सोलंकी, एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 10- सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांकः- 4/2/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 515 रकबा 0.3560 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 589/2193 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी की खसरा नम्बर 515 रकबा 0.3560 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 589/2193 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या-1 की भूमि खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी

कलक्टर
...ड अधिकारी
...ाड़ा

संख्या 2 से 3 की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 रकबा 1.4562 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की भूमि खसरा नम्बर 587/2190 रकबा 0.7524 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 587/2198 रकबा 0.3317 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 8 की भूमि खसरा नम्बर 587/1 रकबा 0.3074 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 9 की भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 0.3074 हैक्टेयर स्थित है। मौके अनुसार का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है प्रार्थी अभी दो महिने पहले अपनी खातेदारी, कब्जाशुदा की भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 580/2193 रकबा 0.4854 हैक्टेयर के चारों ओर काटों की तारबन्दी करने हेतु गये तो अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने तारबंदी करने से रोक दिया एवं नाजायज तरीके से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 515, 589/2193 के पश्चिमी दिशा की और अन्दर प्रवेश कर मात को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से 7 को ऐसी हरकत करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 2 से 7 प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये, इस घटना के बारे में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 9 को बुलाया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 9 ने अप्रार्थी संख्या 2 से 7 को ओलबा दिया और अप्रार्थी संख्या 2 से 7 को कहा कि आपने भूमि खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर को खुर्द बुर्द कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 515, 589/2193 के अन्दर नाजायज रूप से भूमि पर अतिक्रमण किया है, आपने रास्ते को नष्ट कर दिया है तथा अप्रार्थी संख्या 9 ने अप्रार्थी संख्या 2 से 7 को समझाया गया कि आपके कारण भूमि खसरा नम्बर 588/1 के उपर डामर सडक का कार्य रुका हुआ है, आप भूमि का नाप कराओ ताकि नाप चौप व पत्थरगढी करवाने से अधिक भूमि को लेकर हमेशा का झगडा खत्म हो जायेगा, फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 से 7 नहीं माने तो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 10 के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया और प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 515 रकबा 0.3060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589/2193 रकबा 0.4854 हैक्टेयर का भू पैमाईश करने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाडा ने दिनांक 22.05.2024 को हल्का पटवारी को मौके पर जाकर भूमि का नाप करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी खारिया मीठापुर ने मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 515, 589/2193 का नाप इत्यादि किया गया और अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 को तैयार की गयी। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 515 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589/2193 रकबा 0.4854 हैक्टेयर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 21.06.2024 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 पैसे वाले व झगडालू प्रकृति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी गरीब काश्तकार है तथा उनका मुकाबला करने मे समक्ष नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 587/2189 रकबा 1.4562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/2190 रकबा 0.7524 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा की ओर स्थित भूमि खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0405 किस्म गैर मुमकीन सडक को खुर्द बुर्द कर सडक की भूमि को अपनी खातेदारी में मिला दिया है तथा उसके बाद प्रार्थी की भूमि खसरा 515, 589/2193 के अन्दर प्रवेश कर जबरन माठ को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। जिसके कारण भूमि खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0405 किस्म गैर मुमकीन सडक के

र डामर कार्य रुक गया है अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा राज्य सरकार को री आर्थिक नुकसान पहुँचा दिया है। अप्रार्थी संख्ख्या 2 से 7 अतिचारी है। स कारण भूमि खसरा नम्बर 515, 589/2193, 588/1, 587/2189, 87/2190, 587/2198, 587/1, 587 का नाप, सीमांकन एवं पत्थरगढी या जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि तारबंदी व काश्त कार्य करने का पूरा पूरा अधिकारी है, फिर भी अप्रार्थी ख्या 2 से 8 द्वारा नाजायज दखल कर तारबंदी नहीं करने दे रहे है एवं ाठ को खुर्द बुर्द कर देने के कारण प्रार्थी खसरा नम्बर 515, 589/2193 ा नाप, (सीमांकन), पत्थरगढी करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना ड़ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार िया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589/2193 रकबा 0.4854 क्टेयर, खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87/2189 रकबा 1.4562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/2190 रकबा 0. 524 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/2198 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा म्बर 587/1 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.3074 क्टेयर का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें। ीमाकंन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को ोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 4 से 8 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 4 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 में लिखे तथ्य स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य साबित करे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 में लिखे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, क्योकि प्रार्थी ने अपने कथन किया कि उपरोक्त खसरा संख्या 515 रकबा 0.3560 हेक्टेयर एव खसरा संख्या 589/2193 रकबा 0.4854 हेक्टेयर के चारो ओर कांटो की तारबंदी करने हेतु गये जिसे उन्हे रोका गया, माठ को खुर्द बुर्द कर दिया व लडाई झगडा किया, सरपंच को बुलाकर ओलबा दिया, व उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को नष्ट कर दिया, व सड़क के कार्य को अवरुद्ध कर दिया तब तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 22.05.2024 को हल्का पटवारी से मौके पर नाप कर रिपोर्ट बना कर तहसीलदार को पेषित की गयी, प्रार्थी को कथन सरासर गलत है, क्योकि प्रार्थी ने स्वयं उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के दो माह पूर्व अपनी खातेदारी कब्जासूदा भूमि खसरा संख्या 515 एवं 589६2193 के चारो ओर काटो की तारबंदी हेतु अप्रार्थी संख्या 2 वं 3 के द्वारा नही रोका गया, तथा ना ही किसी प्रकार से पश्चिम दिशा में प्रवेश कर माठ को खुर्द बुर्द किया गया, तथा ना ही किसी प्रकार की अप्रार्थी संख्या 2 से 3 ने लडाई झगडा किया गया क्योकि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 515, 589/2193 एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि

सरा संख्या 587/2189 रकबा 1.4562 हेक्टेयर के बीच गैर मुमकिन स्ता राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है, जिसके खसरा संख्या 588/1 रकबा 0. 405 हेक्टेयर है, जो आज भी मौके पर विद्यमान है, जिसपर आवागमन बारु रूप से चला आ रहा है, उक्त रास्ते पंचायत द्वारा कच्चा मूड का रास्ता ता आ रहा है, जबकि प्रार्थी स्वयं झगड़ालू व बदमाश प्रवृति को व्यक्ति है सने उक्त सड़क का डामरीकरण का कार्य रूकवा दिया, तथा स्वयं ने अपनी मि खसरा संख्या 515, 589/2193 की पेमाईस करवाने हेतु स्वयंम् सीलदार बिलाड़ा को नाप चौक करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर सीलदार बिलाडा द्वारा हल्का पटवारी को मौके पर सिमाज्ञान करवाने हेतु म गठित कर नाप किया जाने का आदेश दिनांक 22.05.2024 को दिया गा, जिस पर दिनांक 20.06.2024 को मौके फर्द मय नाप के तैयार की स पर प्रार्थी के हस्ताक्षर हेतु कहां गया लेकिन प्रार्थी स्वयं वहां से भाग गा, जिसकी टिप्पणी मौका फर्द में की गयी, क्योकि प्रार्थी स्वयं ही रास्ते मि पर अतिक्रमण कर रास्ते की भूमि को अवरुद्ध किया व झूठी सिकायते रोड़ के कार्य को बाधित किया गया, मौजूदा लोगो के हस्ताक्षर फर्द पोर्ट पर करवाकर तहसीलदार बिलाडा को दिनांक 21.06. 2024 को पेश गयी, जो सलग्न है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर रिज किया जाने योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 में लिखे थन अस्वीकार है क्योकि प्रार्थी स्वयं रुपये पैसे वाला व्यक्ति है व झगड़ालू ति का व्यक्ति है प्रार्थी स्वयं ने ही अपनी भूमि को पेमाईस करवाने का र्थना पत्र पेश किया जिस पर मौके पर नाप चौक कर रिपोर्ट पेश की गयी का फर्द मौजूदा गवाहान जो आप्रार्थी के साथ मौजूद थे जिन्होने भी उक्त य को सही बताकर हस्ताक्षर किये है। जबकि प्रार्थी स्वयं अतिकमी होने से के फर्द पर हस्ताक्षर करने से मना कर वहां से भाग गया। मात्र इसी धार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः अप्रार्थी सं. 2 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 10 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया सके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर के जमाबंदी त् 2076 से 2079 के खाता सं. 1174 के खसरा नंबर 515 रकबा 3560 हेक्टयर, खसरा नंबर 589/2193 रकबा 0.4854 हेक्टयर किस्म नी तृतीय सांवलराम पुत्र निम्बाराम की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा दोनों खसरों का सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2024 को करवाया था। सकी मौका फर्द रिपोर्ट दावे के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों सरा नम्बरान की तारबंदी करनी चाही गई तो अप्रार्थी सं. 2 से 7 द्वारा बंदी करने से रोक दिया। तब प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों खसरों का सीमाज्ञान वाया। दोनों पक्षों में खसरे की सीमाओं को लेकर विवाद बढे नहीं, इस पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक रहेगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खारिया ठापुर के खसरा नंबर 515 रकबा 0.3560, खसरा नंबर 589/2193 बा 0.4854 हेक्टयर की पत्थरगढी हेतु पटवारी हल्का खारिया मीठापुर भी अनुशंषा की गई है। जिसमें भूमिधारी भी सहमत है। तथा

...वलराम के शेष खसरों की पत्थरगढी हेतु पहले सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक रहेगा।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी सं. 9 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 515 रकबा 0.3560, खसरा नंबर 589/2193 रकबा 0.4854 हेक्टयर प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष में खसरा नंबर 588/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/2189 रकबा 1.4562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/2190 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/2198 रकबा 0.5317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/1 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.3074 हैक्टेयर का भी प्रार्थी द्वारा सीमांकन व पत्थरगढी का अनुतोष चाहा गया जबकि प्रार्थी उक्त खसरान में रेकर्डेड खातेदार नहीं है। अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल रेकर्डेड खातेदार ही सीमांकन व पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी केवल खसरा नंबर 515 रकबा 0.3560, खसरा नंबर 589/2193 रकबा 0.4854 हेक्टयर की पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 515 रकबा 0.3560, खसरा नंबर 589/2193 रकबा 0.4854 हेक्टयर का पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 5/2/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा